



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239217
CG-DL-E-29092022-239217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4390]
No. 4390]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

का.आ. 4580(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 4603(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में;--

(i) “केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य” शीर्ष के अधीन क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
“1.	डॉ. भक्तिमान चैत्री, प्रधान निदेशक, पशुपालन, सिक्किम सरकार।	सदस्य,
2.	डॉ. फाल्गुनी ठाकुर, निदेशक, पशुपालन विभाग, गुजरात सरकार।	सदस्य,

3.	डॉ. राकेश सिंह, निदेशक, पशुपालन विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य,
5.	डॉ. आर. के. मेहिया, निदेशक, पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश, सरकार।	सदस्य।”

(ii) “केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (ब) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य” शीर्ष के अधीन क्रम संख्यांक 7 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः--

केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
“7.	डॉ. सीता प्रसाद तिवारी, कुलपति नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।	सदस्य,
8.	डॉ. राकेश सिंह, कुलपति महाराष्ट्र एनीमल एंड फिशरी यूनिवर्सिटी, नागपुर।	सदस्य।”

2. उपरोक्त सदस्य केवल उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए ही पद पर बने रहेंगे जिसे नामांकित किया गया था।

[फा. सं. के-12052/5(5251)/12/2016-एलएच-जिल्द(2)(ई-1113)]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 4603(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

S.O. 4580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(3) and(6) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, vide number S.O.4603 (E), dated the 18th December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th December, 2020, namely:-

In the said notification;-

- (i) Under the heading “members nominated by the Central Government under clause (a) sub-section (3) of section 3”, for serial numbers 1,2,3, and 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely:-

Members nominated by the Central Government under clause (a) of sub-section (3) of section 3		
“1.	Dr. Bhaktiman Chhetri Principal Director, Animal Husbandry Government of Sikkim	Member
2.	Dr. Falguni Thakar Director, Department of Animal Husbandry Government of Gujarat	Member

3.	Dr. Rakesh Singh Director, Department of Animal Husbandry New Delhi	Member
5.	Dr. R.K. Mehiya Director, Department of Animal Husbandry Government of Madhya Pradesh	Member”;

- (ii) Under the heading”Members nominated by the Central Government under clause (b) of sub-section (3) of section 3”; for the serial numbers 7 and 8 entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

Members nominated by the Central Government under clause (b) of sub-section (3) of section 3		
“7.	Dr. Sita Prasad Tiwari Vice Chancellor Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur.	Member
8.	Dr. A. M. Paturkar Vice Chancellor Maharashtra Animal and Fishery University, Nagpur.	Member”.

2. The aforesaid members shall hold the office only for the remainder the term for which the member whose place he takes was nominated.

[F. No. K-12052/5(5251)/12/2016-LH-Vol(2) (E-1113)]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4603(E), dated the 18th December, 2020.